न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2023-466RAAJodhpur2023-218RTA225 Sadik ors Vs State of Rajasthan

01. सदीक पुत्र निजामदीन
02. नजीर पुत्र मेरदीन जातियान् सिन्धी मुसलमान, निवासीगण- ग्राम हिण्डोलगोल, तहसील बाप, जिला फलोदी।

अपीलाण्ड्स ...

ब

ना

म

01. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील बाप, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 28 नवंबर 2023 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 98/2023 सदीक व अन्य बनाम तहसीलदार बाप

उपस्थित-
श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ड्स
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो.

नि र्ण य

दिनांक : 14 जनवरी 2025

अपीलाण्ड्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 98/2023 अनवान सदीक व अन्य बनाम तहसीलदार बाप में पारित आदेश दिनांक 28 नवंबर 2023 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 22 दिसंबर 2023 को प्रस्तुत की है।

संक्षिप्त प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलांट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 106/80 रकबा 19.5220 हैक्टेयर ग्राम हिण्डोलगोल में सें 100 बीघा भूमि वाद के सलंग्न नजरी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नक्शा अनुसार खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर दावे के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये प्रार्थना पत्र अन्तरिम रूप से अस्वीकार कर लिया, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। ग्राम हिण्डाल गोल के खसरा नं. 106/80 कुल रकबा 19.5220 हैक्टेयर में सें 100 बीघा भूमि पर वादीगण/अपीलार्थीगण का कब्जा उनके पूर्वजों के समय से वक्त बंदोबस्त से पूर्व से चला आ रहा है। उक्त भूमि प्रतिबंधित भूमि नहीं है, बल्कि उक्त भूमि की किस्म बारानी तृतीय है। तहसीलदार बाप द्वारा अपीलार्थीगण के प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के जवाब में यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि हल्का पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार मौके पर अपीलार्थीगण के खूटे रोपकर तारबंदी की हुई है एवं पक्का मकान बनाया हुआ है अर्थात कब्जा एवं काश्त मौके पर प्रार्थीगण का है। इस कारण प्रथमदृष्टया केस प्रार्थीगण के पक्ष में है। खसरा परिवर्तनशील संवतः 2039, 2055, 2055, 2051 में अपीलार्थीगण के बाजरी की फसल व गवार की फसल का वर्णन अंकित है अर्थात उक्त भूमि काबिल काश्त है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का कोई हवाला ही नहीं दिया एवं प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राज्य सरकार के विभिन्न परिपत्रों के अनुसार वक्त बंदोबस्त से काबिज व्यक्ति को नियमन, आवंटन व खातेदारी अधिकार दिये जाने चाहिए, जैसा कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आर.आर.टी. 2001 वोल्यूम 2 पेज 832 व माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ए.आई.आर.1994 सुप्रिम कोर्ट पेज 1128

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

व अन्य न्यायिक दृष्टांतों में यह माना है कि काबिज व्यक्ति को खातेदारी अधिकार दिये जाने चाहिए। माननीय न्यायालय द्वारा ऐस ही प्रकरण में अपील संख्या 25/2020 अनवान मोहनराम बनाम सरकार में खसरा परिवर्तनशील जितने दी जाती थी, उतनी भूमि पर यथास्थिति का आदेश पारित किया। इसी प्रकार एक अन्य अपील संख्या 28/2020 में भी यथास्थिति का आदेश पारित किया। इन तमाम परिस्थितियों में वर्षो से काबिज अपीलार्थीगणण को वर्तमान में प्रत्यर्थी एवं अन्य कोई तृतीय व्यक्ति मौके से बेदखल कर देते है तो उन्हें अपार नुकसान होगा एवं उनकी अपील बेमकसद हो जायेगी। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया जो अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28 नवंबर 2023 को निरस्त फरमाया जावे एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि ग्राम हिण्डोल के खसरा नं. 106/80 कुल रकबा 19.5220 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय भूमि जो राजस्व रेकर्ड में सरकारी दर्ज है, जिसके कुछ हिस्से पर प्रार्थीगण ने अतिक्रमण कर रखा है। जिस पर प्रार्थीगण का नियमित रूप से कभी कब्जा नहीं रहा है। हाल ही में प्रार्थीगण ने खूंटे रोपकर कब्जा किया हैं। प्रार्थीगण या अन्य व्यक्ति द्वारा भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने पर तुरन्त ही नियमानुसार कार्यवाही कर अतिक्रमण हटाया जाता रहा है। वर्तमान में ही प्रार्थीगण द्वारा उक्त खसरे की सरकारी भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाने की प्रक्रिया प्रस्तावित है। विचारण न्यायालय द्वारा अप्रार्थी की तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर विधिसम्मत रूप से

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया है। कोई भी व्यक्ति प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की मांग नहीं कर सकता है तथा न ही उसे इस आधार पर कभी खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत होने से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मुताबिक वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 106/80 रकबा 19.5220 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय राजस्व रेकर्ड में राज्य सरकार के नाम से दर्ज है। अपीलांट्स वादग्रस्त आराजी पर बतौर अतिक्रमी काबिज है। कानूनन रेकर्डेड खातेदार के विरुद्ध एवं अतिक्रमी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में नहीं पाये जाते है। इन परिस्थितियों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28 फरवरी 2023 को यथावत रखा जाता है। साथ ही तहसीलदार बाप को निर्देश दिये जाते है कि वह बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये अपीलांट्स के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर